अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री महावीर प्रसाद व अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 03 सन्..2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/11/17	वकुला.ए.फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षान की बहस सुनी गई। उभयपक्षान के तर्क–वितर्क प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बरल II के खसरा नम्बर 960 तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 959 से लगती हुई है जिसमें से प्रार्थीगण ने रास्ता भी रखे जाने के कथन किए हैं। चूंकि मूल वाद का निस्तारण गुणावगुण एवं साक्ष्य तथा सुनवाई के आधार पर ही किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 972 से लगते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर वादग्रस्त खसरा संख्या 959 में से प्रस्तावित 30 फीट चौड़े रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाता है कि वे मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.09.2017 को अपास्त किया जाता है एवं प्रस्तावित 30 फीट चौड़े रास्ते के अतिरिक्त शेष रकबे से अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (सुरेश चावला) आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 15:55:10 IST
Reason: SelfAttested